11.6.18

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रगावली आज कैम्प कोर्ट सलेमगढ़ मे पेश की गई। पक्षकारान व अधिवक्तागण उप. राजीनामा पेश किया राजीनामा दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया पुन समझ सही मानकर अपने अपने हस्ताक्षर/अंगूठे किये। वादी की पहचान श्री महावीर प्रसाद वर्मा Adv. व प्रतिवादीगण की पहचान श्री जगदीश प्रसाद शर्मा Adv. ने की। राजीनामा [illegible] की ID की [illegible] सरपंच ग्राम पंचायत भैरोंकां से जारी राजेन्द्र का सहायता प्रमाणपत्र विरासत साक्ष्य में राजेन्द्र के पिता बृजलाल पुत्र [illegible] ताकुरव मे [illegible] की चक नं. 1 [illegible]

सुमेश कुमार

अध्यक्ष
लोक अदालत
टिब्बी

सदस्य
लोक अदालत
टिब्बी

की जमाबन्दी की स्वहस्ताक्षरित नकल प्रति पेश की है शामिल रहे है। जिससे विवादित सम्पत्ति होना साबित है। वादी द्वारा पेश विसारत्न सांख्य राजीनामा, बालिमान तस्दीक के आधार पर वाद वादी साबित होने से डिग्री किया जाता है। निर्णय अलग। डिग्री अलग से जारी हो। नियमानुसार शुल्क जमा होने पर नकल डिग्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो मा नम्बर के कमकी जमा दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner